

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक 102 / प्र०अ०-गवन/ दोन 1 / 2014-15 दिनांक 23/09/2014

अनुमति-पत्र

यह अनुमति जारी कर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है।
किन्तु यह यह न शामिल न होने के समान इस पर व्यवसायिक व्यवसाय के बदल नामित्र स्वीकृति दिया जा रहा है, इसले जिसी उपकार या प्रक्रिया व्यवसाय इसके स्थानीय अधिकारी द्वारा व्यक्त आशंका करने के गालिकान अधिकारी यह किसी का लाइसेंस न देता असर पड़ा अशाया वह अनुमति केवल के खेतिकार या स्थानीय के अधिकारी के विस्तृत कोई प्रभाव न रखेगा।

श्रीमती उमा गुप्ता पुत्री श्री कौरला गुप्ता द्वारा पार्ट आफ भवन संख्या-76/62 जयन्तीपुर चुलोग सराय परिवार पर तहसील-सदर, जिला इलाहाबाद के जान संख्या (1) के अन्तर्गत व्यवसायिक व्यवसाय के नियम की अनुमति देते वालिया महान सान्तान लाईकूर्स/नियंत्रण नियम किन प्रतिक्रिया के अन्तर्गत दिया जाएगा यानी यह वेकास उपरोक्त 2008 में व्यवसाय संख्या-21.0 रुप 3.15 में विद्युति नियम पूर्ण तरह पूर्ण प्रमाण-पत्र दिया जाएगा।

1. उपरोक्त नाम दियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (1) के प्रावेष्यनी के अनुमति पूर्ण प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात ही उपरोक्त/व्यवसाय किन जायेगा यानी यह वेकास उपरोक्त 2008 में व्यवसाय संख्या-21.0 रुप 3.15 में विद्युति नियम पूर्ण तरह पूर्ण प्रमाण-पत्र दिया जाएगा।
2. यह स्वीकृत यान्त्रिक (Provisional) शीरू होने के रूप में होता। नियम पूर्ण होने वे अन्तर्गत, जिनी व्यवसायक Mandatory Clearances/N.O.C को यार्ट पूर्ण करने के पश्चात नियम किये जाने जाएं 'पूर्ण प्रमाण-पत्र' दिया जाना चाहने के बदले ही इस परिवार के वास्तविक उपयोग गे लाय जा सकते।

3. स्थान पर 4X3 फीट का ५५ बोर्ड लगाकर प्राधिकरण हर दिन तीन बार चेता लाइनी व्यवसाय के अन्तर्गत होगा, जिसमें अधिनियम/इन्वीनियक के कर्तव्य का नाम भी उल्लिखित है।

4. स्थान पर ११ दूध लगाना होता है। तथा वृक्षों को इस सभा रखने का व्यायाम अवैधिक न होगा।

5. स्थान का अधिनियम/व्यवसाय इसी तरह प्रत्यावर्त्ती के अन्तर्गत होगा।

6. व्यवसायपत्र सुलिखित के उत्तरांक में नाम अनुसुल्त/नाम नियम द्वारा द्वारा गानवित्र की स्वीकृति के छाते कोई देश/प्रतिवक्त अधिनियम किये जाते हैं तो उसका गुणान्वयन/उत्पादन शब्दावली पर अधिकरी होगा।

7. गानवित्र व्यवसाय में कोई वाद तो अधिक उत्पादन होने वी विधिय में व्यवसाय स्वीकृति नामनीय व्यवसाय के नियम हो अधीन होगी वह स्वीकृति नू-व्यवसाय के अधिकार प्रदान नहीं करती है। स्व-व्यवसाय व्यवसायी कोई गो विवाद उत्पादन व्यवसाय/व्यापारी होता है नियमानुसार किया जा सकता है।

8. विधिन सभा पर याशी शासनादेश या नियमों का वालन जलन द्वारा तथा प्राविधिक यहि कोई १००% लायोग्या करता है तो उसे पदा को जम लगता होगा।

9. यदि आवेदन द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना दियायी गयी है अथवा गता सूचना ही वी होती है तो उपरोक्त नाम नियमानुसार अधिनियम 1973 की धारा 15 (6) के अन्तर्गत गानवित्र नियम असी चाहे हो।

10. यह रोपणात्मक केवल पौधे वही की क्षमता के लिए है।

11. नक्काश विनाय से यदि नाली के रुद्ध की पर्दी अथवा रुद्ध के नाली के लियो एवं जो गजन के आव भाव एवं जो नाम अथवा लक्ष्य शालाक के कारण इक गई हो, जो ज्ञानी पहुँचे हो गुदसामो रीवाय हो जने ०५ १५ दिन की अंतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शोध लहा तो भलो हो तो उसे कर्तव्य दे मरम्मत करकर पूर्ववत अवश्य जिसी विकास प्राधिकरण गो स्वीकृत हो जाय, ए कर देता।


12. गृह नैनीटी से सम्बन्धित इसका वी व्यवसाय रुपाना जोगा के शारदीय नियम अधिनियम 1955 (द्वितीय इलेव्यान्डी लाल 1985) नियम ४२ जा ठार्डन जिसी दौरा में न होना चाहेत। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे नमहे पाए गये हो तो उसे नियम को लोक अथवा उत्पादन का जारी कर देता।

13. आवेदक को नियमानुसार जेकास प्राधिकरण लो मकान की नीम तक तथा उत्तर का जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने को शब्दान् गकन लायद होने से पूर्ण देना जोगा तथा उत्तर आदी का नाम भी देना होगा जिसले नियमानुसार में मकान नीमित होता है।

14. गांदे नियम गो गांदे भाल का इलेवन दोता पदा गय हो जिसी लाल को दी एवं रोपणी द्वारा अन्वित दोषित कर लक्षा अधिनियम की धारा २८ (१) में अन्याना वायवी जारी की जाएगी।

द्वा श्री अनुमति पत्र
४५ प्र० गवन/ मानवित्र
प्राप्ति क्रमांक
२५/०९/२०१४

23/09/2014
(प्र०क्षर श्रीवास्तव)
प्रमाणी विकास (गवन-२)
इल इवाद विकास प्राधिकरण,
इल इवाद विकास प्राधिकरण,
इल इवाद विकास प्राधिकरण,



DOOR WINDOW SCHEDULE

DOOR	D1	1050x2400
	D2	1000x2400
	D3	900x2400
	D4	750x2400
WINDOW	W6	1800x1650
	W4	1200x1350
VENT.	V3	900x450

PROPOSED COMMERCIAL BUILDING PLAN ON HOUSE NO. 76/52, JAYANTIPUR, SULEM SARAI, PARGANA & TAHSIL - SADAR, DISST. - ALLAHABAD.

OWNER NAME

SMT. UDRA GUPTA D/O SRI K.L. GUPTA

THIS IS TO CERTIFIED THAT THE MAP IS
ACCORDING TO BY LAWS (BHAWAN
UPVODHI 2012) AND NORMS OF A.D.A.
MAKA YOGANA 2021

SCALE

1:100

DATE

DRAWN BY

BIRENDRA KUMAR
Engineers Builders
Interior Building Designer Painters
& Estimator
Registration No. 02125215
Allahabad Development Authority
141 A, Raja Bazaar, Allahabad

3/16/21

SIG. OWNER

SIG. ENGR.